[2020] 2 एससीआर 597

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य।

बनाम

श्याम किशोर सिंह

(2020 की सिविल अपील संख्या 1009)

05 फरवरी, 2020

[आर. बानुमती और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

सेवा कानून - प्रतिवादी को अपीलकर्ता की कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था - सेवा अभिलेख में उसकी जन्मतिथि 04.03.1950 थी - हालांकि, उसका दावा है कि उसने अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र में निहित प्रविष्टि के संदर्भ में अपनी जन्मतिथि 20.01.1955 घोषित की थी - 2009 में, अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले उसने अभिलेखों में जन्म तिथि में बदलाव की मांग की - अपीलकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया - प्रतिवादी 31.03.2010 को सेवानिवृत्त हुआ और सेवानिवृत्ति से चार साल बीत जाने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उचित सुधार करने और परिणामी आदेश पारित करने का निर्देश दिया - खंड पीठ ने प्रतिवादी को देय परिचर लाभों को सीमित कर दिया - आयोजित: यदि सेवा रजिस्टर में जन्म की एक विशेष तारीख दर्ज की जाती है, तो मांगी गई परिवर्तन को पूरी सेवा के दौरान सही होने के लिए स्वीकार करने के बाद सेवा के अंतिम छोर पर विचार नहीं किया जा सकता है - वर्तमान मामले में, 1982 में शामिल होने की तारीख के रूप में और 1987 में भी जब प्रतिवादी को नामांकन फॉर्म भरने और दोष को सुधारने का अवसर मिला था, यदि कोई हो, तो उसने जन्म तिथि 04.03.1950 के रूप में इंगित की थी - उन्होंने 1998 में भविष्य निधि नामांकन फॉर्म भरे जाने पर इसे दोहराया जो रोजगार शुरू होने की तारीख को सेवा रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि से मेल खाता है - इस प्रकार, केवल इसलिए कि बिहार

स्कूल परीक्षा बोर्ड से एक सत्यापन किया गया था और भले ही यह पुष्टि की गई थी कि जन्म तिथि 20.01.1955 थी, उस स्तर पर इस तरह के बदलाव की अनुमति नहीं थी - यह केवल उनकी सेवा में शामिल होने की तारीख से 30 से अधिक वर्षों के बाद है, 2009 में पहली बार उन्होंने अभ्यावेदन दिया था - प्रतिवादी ने भी इसके तुरंत बाद न्यायिक उपाय का लाभ नहीं उठाया, सेवानिवृत्ति से पहले - उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिखाया गया भोग उचित नहीं था - आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया .

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित : 1.1 यदि सेवा रजिस्टर में जन्म की एक विशेष तारीख दर्ज की जाती है, तो मांगी गई परिवर्तन को पूरी सेवा के दौरान सही होने के लिए स्वीकार करने के बाद सेवा के अंतिम छोर पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने 01.03.1982 को सेवा में प्रवेश किया। दिनांक 04-03-1950 दर्ज की गई जन्मतिथि उक्त तारीख से अभिलेख में बनी हुई है। वर्तमान मामले में, शामिल होने की तारीख के रूप में और वर्ष 1987 में भी जब प्रतिवादी को नामांकन फॉर्म भरने और दोष को सुधारने का अवसर मिला था, यदि कोई हो, तो उसने जन्म तिथि 04.03.1950 बताई थी और 1998 में भविष्य निधि नामांकन फॉर्म भरे जाने पर भी इसे दोहराया था। उनके सेवा ग्रहण करने की तारीख से 30 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद ही वर्ष 2009 में पहली बार उन्होंने अभ्यावेदन दिया था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले न्यायिक उपचार का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय, प्रतिवादी 31.03.2010 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और उसके बाद भी रिट याचिका उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से चार साल बाद वर्ष 2014 में दायर की गई थी। उस परिस्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिखाया गया अनुग्रह उचित नहीं था। इसलिए, 2014 की डब्ल्यू पी (एस) संख्या 6172 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और 2018 के एल पी ए संख्या 115 में खंड पीठद्वारा पारित दिनांक 19.02.2019 का आदेश टिकाऊ नहीं है। आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है। [अनुच्छेद 7, 12-14] [606-बी सी; 606-सी ई]

कामता पांडे बनाम मैसर्स बीसीसीआई और अन्य। **[2007] 3 जे एल जे आर 726**; *महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम गोरखनाथ सीताराम कांबले एवं अन्य।* **(2010) 14 एससीसी 423: [2010] 14 एससीआर 752**; *एम पी राज्य बनाम प्रेमलाल श्रीवास,*

(2011) 9 एस सी सी 664: [2011] 11 एससीआर 444; *फैक्टरी प्रबंधक किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मण* **(2020) 3 एससीसी 419**; *मैसर्स पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम राम समुग यादव एवं अन्य।* **(2020) 3 एससीसी 421 - संदर्भित।**

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम छोटा बिरसा उरांव **(2014) 12 SCC 570: [2014] 4 SCR 887 - प्रतिष्ठित।**

केस लॉ रेफरेंस

[2007] 3 JLJR 726	**को संदर्भित**	**पैरा 4**
[2010] 14 SCR 752	**को संदर्भित**	**पैरा 8**
[2011] 11 SCR 444	**को संदर्भित**	**पैरा 9**
(2020) 3 SCC 419	**को संदर्भित**	**पैरा 10**
(2020) 3 SCC 421	**को संदर्भित**	**पैरा 10**
[2014] 4 SCR 887	**प्रतिष्ठित**	**पैरा 11**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 1009 2018 के एलपीए संख्या 115 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.02.2019 से।

के.एम. नटराज, ए एस जी, पारिजात किशोर, निश्चल गुप्ता, वत्सब जोशी, अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट।

एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, संतोष कुमार, मोजाहिद करीम खान, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था।

ए.एस. बोपन्ना, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष 2018 के एलपीए संख्या 115 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठद्वारा पारित दिनांक 19.02.2019 के

आदेश का विरोध कर रहे हैं। उक्त आदेश के माध्यम से खंड पीठने हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश दिनांक 13.10.2017 को संशोधित किया है, जहां तक दी गई राहत की सीमा है, सेवा अभिलेख में जन्म तिथि के परिवर्तन से संबंधित प्रतिवादी का तर्क स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ताओं को अप्रैल के बीच की अवधि के लिए एक वर्ष के वेतन के बराबर राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। अप्रैल 2010 से मार्च, 2011 तक। इस प्रकार व्यथित अपीलकर्ता इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि यहां प्रतिवादी को अपीलकर्ता कंपनी में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें कार्मिक संख्या 00473470 आवंटित किया गया था और 27.02.1982 से प्रशिक्षु डोजर ऑपरेटर के रूप में सेवा में शामिल हुए थे। हालांकि प्रतिवादी का दावा है कि उसने अपने बी में निहित प्रविष्टि के संदर्भ में अपनी जन्मतिथि 20.01.1955 घोषित की थीहालांकि प्रतिवादी का दावा है कि उसने अपनी निहित प्रविष्टि के संदर्भ में अपनी जन्मतिथि 20.01.1955 घोषित की थी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से तथ्य यह है कि सेवा अभिलेख में दर्ज उनकी जन्मतिथि 04.03.1950 थी और 27.02.1982 को उनकी नियुक्ति की तारीख से 31.03.2010 को उनकी सेवानिवृत्ति तक बनी रही। वर्ष 1998 में प्रतिवादी ने भविष्य निधि नामांकन फॉर्म प्रस्तुत किया है जिसमें उसने अपने परिवार के विवरण को दोषी ठहराया है और अपनी पत्नी को अपने नामांकित व्यक्ति के रूप में दिखाया है। संबंधित फॉर्म में भी, प्रतिवादी ने अपनी जन्मतिथि 04.03.1950 बताई थी। इस प्रकार प्रतिवादी सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बना रहा, 31.03.2010 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले, वर्ष 2009 में, प्रतिवादी द्वारा अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि को बदलने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया गया था, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। प्रतिवादी ने उस समय मामले को आगे नहीं बढ़ाया और 31.03.2010 को सेवानिवृत्त होने के बाद चार साल बीत जाने के बाद रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू पी (एस) संख्या 6172/2014 दायर की। अपीलकर्ताओं ने यहां उपस्थित होकर अपना आपत्ति बयान दायर किया। विद्वान

एकल न्यायाधीश ने प्रस्तुत किए गए दावे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया कि जब प्रतिवादी ने वर्ष 2009 में जन्म तिथि के सुधार के संबंध में मुद्दा उठाया, तो अपीलकर्ताओं ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से प्रतिवादी द्वारा दावा की गई जन्म तिथि का सत्यापन सुरक्षित किया, पटना। सत्यापन पर यह पुष्टि की गई कि स्कूल के अभिलेख में जन्म तिथि 20.01.1955 थी। अपीलकर्ताओं द्वारा यहां किए गए उक्त सत्यापन को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ रखा गया है और यह देखा गया है कि यदि सेवा अभिलेख में प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई तारीख 04.03.1950 सही थी, तो अपीलकर्ताओं के लिए बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से इसे सत्यापित करने का कोई अवसर नहीं था। उस परिस्थिति में विद्वान एकल न्यायाधीश की राय है कि प्रतिवादी ने सेवाओं में शामिल होने से पहले मैट्रिक पास कर लिया था और उस परिस्थिति में मैट्रिक प्रमाणपत्र में जन्म तिथि की प्रविष्टि सेवा में शामिल होने से पहले ही 20.01.1955 थी, प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया है और उस पृष्ठभूमि में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ताओं को उचित सुधार करने और परिणामी पारित करने का निर्देश दिया जाना है आदेश।

4. खंड पीठ ने वास्तव में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक प्रमाण पत्र की शुद्धता से संबंधित सत्यापन के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए उक्त तर्क का उल्लेख किया है और उस परिस्थिति में चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***कामता पांडे बनाम मैसर्स बीसीसीआई और अन्य*** [2007(3) जेएलजेआर 726] के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सौंपे गए उक्त तर्क को बरकरार रखा है। हालांकि, खंड पीठ ने नोट किया था कि प्रतिवादी ने अपने रोजगार की बहाली के लिए अपनी सेवानिवृत्ति के चार साल बाद रिट याचिका दायर की थी। यह भी ध्यान दिया गया है कि प्रतिवादी ने अपनी सेवाओं के दौरान कई फॉर्म भरे थे जहां प्रतिवादी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता का खुलासा नहीं किया था। उस दृष्टिकोण में, खंड पीठ की राय थी कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायालय से संपर्क करने में देरी के पहलू पर उचित रूप से विचार नहीं किया था। उस

परिस्थिति में खंडपीठ ने प्रतिवादी को देय परिचर लाभों को अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 की अवधि के बीच एक वर्ष के वेतन तक सीमित कर दिया था, जैसा कि उस समय प्रचलित था। यह उस पृष्ठभूमि में है कि अपीलकर्ता विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो रहे हैं और खंड पीठ भी इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

5. अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के एम नटराज को सुना, श्री एम. शोएब आलम ने प्रतिवादी के वकील को सीखा और अपील पत्रों का अवलोकन किया।

6. तथ्य यह है कि प्रतिवादी 01.03.1982 को अपीलकर्ताओं की सेवाओं में शामिल हो गया था, स्वीकृत स्थिति है। हालांकि प्रतिवादी मैट्रिक प्रमाण पत्र पर भरोसा करता है कि उसमें बताई गई जन्म तिथि 20.01.1955 है, यह इंगित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि उक्त दस्तावेज नियोक्ता के समक्ष रोजगार में शामिल होने के समय पेश किया गया था। उस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए गए सेवा अभिलेख से पता चलेगा कि दस्तावेज़ में इंगित जन्म तिथि 04.03.1950 है जिसे प्रतिवादी ने स्वयं प्रस्तुत किया था क्योंकि उसके हस्ताक्षर के तहत प्रासंगिक प्रपत्रों में उक्त तारीख है। हालांकि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने जन्म तिथि के कुछ बदलावों पर ध्यान दिया था, जैसा कि फॉर्म "बी" में दर्शाया गया है, उक्त दस्तावेज की प्रासंगिकता को सेवा अभिलेख में अन्य दस्तावेजों के संदर्भ के बिना नहीं माना जा सकता है। यह तथ्य कि प्रतिवादी वर्ष 2009 में किए गए अपने अभ्यावेदन के माध्यम से जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि में परिवर्तन की मांग कर रहा था, यह इंगित करेगा कि सेवा अभिलेख में जो निहित था वह 04.03.1950 है, जो 27.02.1982 से स्थिति थी।

7. उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा किया गया विचार उचित है। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में पैरा 10 के विशिष्ट संदर्भ के साथ प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उस पहलू का उल्लेख किया जिसमें जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्ष 2009 में प्रतिवादी

द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से अपीलकर्ताओं द्वारा सुरक्षित किए गए सत्यापन पर ध्यान दिया है। यद्यपि ऐसा संदर्भ दिया गया है, हमारी राय में, वर्तमान तथ्यों में यह उचित नहीं था जब रोजगार की तारीख से तीन दशक बीत चुके थे। यह स्थिति सुस्थापित है कि यदि किसी जन्मतिथि को सेवा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तो मांगी गई परिवर्तन को सेवा के अंतिम चरण में स्वीकार करने के बाद पूरी सेवा के दौरान सही माना नहीं जा सकता है। तात्कालिक तथ्यों में स्थिति यह है कि प्रतिवादी ने 01.03.1982 को सेवा में प्रवेश किया। दिनांक 04-03-1950 दर्ज की गई जन्मतिथि उक्त तारीख से अभिलेख में बनी हुई है। परिवार और नामिती के विवरण को दर्शाते हुए नामांकन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता का अनुपालन किया गया था और इसे प्रतिवादी द्वारा 25.05.1998 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त नामांकन फॉर्म में कर्मचारी की जन्म तिथि का उल्लेख किया जाना आवश्यक था, जिसमें प्रतिवादी ने अपनी लिखावट में जन्म तिथि 04.03.1950 बताई है। इस तथ्य के अलावा, विद्वान अपर महा-सॉलिसिटर यह भी उल्लेख करेंगे कि चूंकि सेवा रजिस्टर के रख-रखाव के तरीके में परिवर्तन हुआ था, इसलिए सभी कर्मचारियों को वर्ष 1987 में सेवा रिकार्ड को सत्यापित करने और उसमें परिवर्तन करने का अवसर प्रदान किया गया था। उस स्तर पर भी प्रतिवादी ने किसी भी बदलाव की मांग नहीं की। उस स्तर पर भी प्रतिवादी ने किसी भी बदलाव की मांग नहीं की। इसलिए, उस परिस्थिति में, जब 1987 में पहली बार में उपलब्ध अवसर का लाभ नहीं उठाया गया था और उसके बाद 25.05.1998 को जब प्रतिवादी ने स्वयं भविष्य निधि नामांकन फॉर्म में जन्म तिथि 04.03.1950 बताई थी जो रोजगार शुरू होने की तारीख को सेवा रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि से मेल खाती है, केवल इसलिए कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से एक सत्यापन किया गया था और यहां तक कि अगर यह पुष्टि की गई थी कि जन्म तिथि 20.01.1955 थी, तो उस स्तर पर इस तरह के बदलाव की अनुमति नहीं थी।

8. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि सेवा के अंतिम समय में सेवा अभिलेख में जन्म तिथि बदलने का अनुरोध टिकाऊ नहीं है। विद्वान अपर

महाधिवक्ता ने इस संबंध में ***महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम बनाम गौरखनाथ सीताराम कांबले एवं अन्य*** (2010) 14 एससीसी 423 के मामले में लिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। जिसमें इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की एक श्रृंखला को ध्यान में रखा गया था और निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने *उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम राज कुमार अग्निहोत्री* [(2005) 11 एससीसी 465: 2006 एस सी सी (एल एवं एस) 96] में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। इस मामले में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार किया है और यह देखा है कि सेवा अभिलेख में जन्म तिथि के रूप में शिकायत को सेवा करियर के अंतिम छोर पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

17. एक अन्य फैसले *उत्तरांचल राज्य बनाम पीतांबर दत्त सेमवाल* [(2005) 11 एससीसी 477: 2006 एससीसी (एल एंड एस) 106] में सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया था कि उसने लगभग 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवा अभिलेख में सुधार की मांग की थी। उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय को लगभग तीन दशकों के बाद निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

19. ये निर्णय इस मामले के एक अलग आयाम की ओर ले जाते हैं कि अंतिम छोर पर सुधार बड़ी संख्या में कर्मचारियों की कीमत पर होगा, इसलिए, अंतिम छोर पर किसी भी सुधार को अदालत द्वारा हतोत्साहित किया जाना चाहिए। संगत अंश में दिए गए निर्णय *गृह विभाग बनाम आर. किरुबाकरन* के मामले का [1994 पूरक (1) एससीसी 155: 1994 एससीसी (एल एंड एस) 449: (1994) 26 एटीसी 828] निम्नानुसार पढ़ता है: (एस सी सी पी पी 158-59, पैरा 7)

“7. जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन [लोक सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम समय में विचार नहीं किया जा सकता]। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्म तिथि के सुधार के लिए इस तरह के किसी भी निर्देश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उनके नीचे उनके नीचे वर्षों से

इंतजार कर रहे अन्य लोग प्रभावित होते हैं। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, क्योंकि जन्म तिथि में सुधार के कारण, संबंधित अधिकारी पद पर बना रहता है, कुछ मामलों में वर्षों तक, जिसके भीतर कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उससे नीचे हैं, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति खो सकते हैं। ... हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में उसकी शिकायत की जांच करते समय न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे, जब तक कि सामग्री के आधार पर एक स्पष्ट मामला नहीं बनता है, जिसे प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, प्रतिवादी द्वारा बनाया जाता है, अदालत या न्यायाधिकरण को उन सामग्रियों के आधार पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो इस तरह के दावे को केवल प्रशंसनीय बनाते हैं। ऐसा कोई निर्देश जारी करने से पहले, अदालत या अधिकरण को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन [लोक सेवक द्वारा उसकी सेवा के अंतिम समय में विचार नहीं किया जा सकता]। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्म तिथि के सुधार के लिए इस तरह के किसी भी निर्देश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उनके नीचे उनके नीचे वर्षों से इंतजार कर रहे अन्य लोग प्रभावित होते हैं। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, क्योंकि जन्म तिथि में सुधार के कारण, संबंधित अधिकारी पद पर बना रहता है, कुछ मामलों में वर्षों तक, जिसके भीतर कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उससे नीचे हैं, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति खो सकते हैं। ... हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में उसकी शिकायत की जांच करते समय न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे, जब तक कि सामग्री के आधार पर एक स्पष्ट मामला नहीं बनता है, जिसे प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, प्रतिवादी द्वारा बनाया जाता है, अदालत या न्यायाधिकरण को उन सामग्रियों के आधार पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो इस तरह के दावे को केवल प्रशंसनीय बनाते हैं। ऐसा कोई

निर्देश जारी करने से पहले, अदालत या ट्रिब्यूनल को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है। और जन्म तिथि के सुधार के लिए उसका दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और किसी भी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। ... यह आवेदक पर है कि वह अपनी सेवा पुस्तिका में अपनी जन्मतिथि की गलत रिकॉर्डिंग को साबित करे और जन्म तिथि के सुधार के लिए उसका दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और किसी भी नियम या आदेश द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया है। ... यह आवेदक पर है कि वह अपनी सेवा पुस्तिका में अपनी जन्मतिथि की गलत रिकॉर्डिंग को साबित करे।

9. इस न्यायालय ने वास्तव में यह भी माना है कि भले ही यह स्थापित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि गलत है, सुधार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। उस संबंध में, **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **प्रेमलाल श्रीवास**, (2011) 9 एससीसी 664 में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है;

"8. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार से जुड़े मामलों में, विशेष रूप से उसकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उसके करियर के अंतिम पड़ाव पर, अदालत या ट्रिब्यूनल को किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के समय सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए निर्देश जारी करते समय चौकस, सतर्क और सावधान रहना होगा। जब तक कि अदालत या ट्रिब्यूनल उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य सबूत के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है और यह कि ऐसा दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या संबंधित विभाग द्वारा अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जैसा भी मामला हो, और संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सेवा पुस्तिका में सुधार के लिए निदेश जारी करने से बचना चाहिए। बार-बार इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में शामिल होने के लंबे समय के बाद, विशेष रूप से अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारित समय से परे, दर्ज की गई जन्मतिथि के सुधार के लिए अनुरोध

करता है, तो वह अधिकार के रूप में, अपनी जन्मतिथि के सुधार का दावा नहीं कर सकता है। भले ही उसके पास यह स्थापित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई जन्म तिथि स्पष्ट रूप से गलत है। कोई भी अदालत या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता के लिए नहीं आ सकता है जो अपने अधिकारों पर सोते हैं (देखें *भारत संघ बनाम हरनाम सिंह* [(1993) 2 एस सी सी 162: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 375: (1993) 24 ए टी सी 92])।

12. जैसा कि यह हो सकता है, हमारी राय में, जन्म तिथि के सुधार के लिए आवेदन करने में दो दशकों से अधिक की देरी प्रतिवादी के मामले के लिए पूर्व दृष्टया घातक है, इस तथ्य के बावजूद कि कोई विशिष्ट नियम या आदेश नहीं था, बनाया गया या बनाया गया, उस अवधि को निर्धारित करता है जिसके भीतर इस तरह के आवेदन दायर किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी ऐसा आवेदन दायर किया जाए जिसे उचित ठहराया जा सके। प्रतिवादी द्वारा सेवा में शामिल होने के 25 साल बाद दायर किया गया आवेदन, किसी भी मानक से, उचित नहीं ठहराया जा सकता है, खासकर जब उक्त देरी की व्याख्या करने का एक कमजोर प्रयास नहीं किया गया था। प्रतिवादी की दलील में भी कोई दम नहीं है कि चूंकि मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 84 में उस समय-सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है जिसके भीतर आवेदन दायर किया जाना है, इसलिए अपीलकर्ता सेवा पुस्तिका में अपनी जन्मतिथि दर्ज करने में लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे।

10. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने ***कारखाना प्रबंधक किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम लक्ष्मण*** एस एल पी (सी) संख्या 2592-2593/2018 दिनांक 25.04.2019 में के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें देरी से किए गए दावे पर विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, ***मैसर्स पूर्वी कोलफील्ड्स लि एवं अन्य बनाम राम समुग यादव एवं अन्य*** 2011 के सी ए संख्या 7724 दिनांक 27.05.2019 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया है:

"अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि वर्ष 1987 में जब प्रतिवादी नंबर 1 को सेवा अभिलेख के संबंध में किसी भी मुद्दे/विवाद को उठाने का अवसर दिया गया था, विशेष रूप से सेवा अभिलेख में उसकी जन्म तिथि, ऐसा कोई मुद्दा/विवाद नहीं उठाया गया था। अपनी सेवानिवृत्ति से केवल एक वर्ष पहले, प्रतिवादी नंबर 1 ने विवाद उठाया जिसे विलम्बित विवाद कहा जा सकता है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ नियोक्ता को इस तरह के मुद्दे को स्वीकार करने से इनकार करना उचित था।

उच्च न्यायालय की खंड पीठने इसलिए, अपीलकर्ता को कई वर्षों के बाद सेवा अभिलेख में प्रतिवादी नंबर 1 की जन्मतिथि को सही करने का निर्देश देकर एक गंभीर त्रुटि की है और वह भी तब जब यह मुद्दा उसकी सेवानिवृत्ति से केवल एक वर्ष पहले उठाया गया था और जैसा कि ऊपर देखा गया है, पहले कोई विवाद नहीं उठाया गया था।"

11. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने ***भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम छोटा बिरसा उरांव*** (2014) 12 एससीसी 570 के मामले में अपीलकर्ताओं के समान नियोक्ता से संबंधित इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। जिसमें इस न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें जन्म तिथि में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था। उसी का अवलोकन करने के बाद, हमारा विचार है कि उक्त निर्णय प्रतिवादी को सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। यही कारण है कि उक्त मामले में यह गौर किया गया था 1987 में राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के (III) के कार्यान्वयन पर कर्मचारियों के सेवा अभिलेख को स्थिर करने के लिए लागू किया गया था और इसके सभी कर्मचारियों को उनके सेवा अभिलेख के विवरण वाला नामांकन फॉर्म प्रदान करके सेवा अभिलेख में विसंगतियों को पहचानने और सुधारने का मौका प्रदान किया गया था। उद्धृत मामले में प्रतिवादी (कर्मचारी) ने अपनी जन्मतिथि, नियुक्ति की तारीख, पिता के नाम और स्थायी पते के बारे में अभिलेख में विसंगतियों पर ध्यान दिया था और सुधार की मांग करने के अवसर का लाभ उठाया था। यद्यपि उन्होंने त्रुटियों के सुधार की मांग की थी, अन्य विसंगतियों को ठीक कर दिया गया था, लेकिन जन्म तिथि और नियुक्ति की तारीख

हालांकि अपरिवर्तित रही थी और यह उस विचार में है कि कर्मचारी ने फिर से उसी के बारे में विवाद उठाया था और न्यायिक उपाय की मांग की गई थी जिसमें उसे लाभ दिया गया था।

12. दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, शामिल होने की तारीख के रूप में और साथ ही वर्ष 1987 में जब प्रतिवादी को नामांकन फॉर्म भरने और दोष को सुधारने का अवसर मिला था, यदि कोई हो, तो उसने जन्म तिथि 04.03.1950 के रूप में इंगित की थी और 1998 में भविष्य निधि नामांकन फॉर्म भरे जाने पर इसे दोहराया था। उनके सेवा ग्रहण करने की तारीख से 30 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद ही वर्ष 2009 में पहली बार उन्होंने अभ्यावेदन दिया था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले न्यायिक उपचार का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय, प्रतिवादी 31.03.2010 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और उसके बाद भी रिट याचिका उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से चार साल बाद वर्ष 2014 में दायर की गई थी। उस परिस्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दिखाया गया अनुग्रह उचित नहीं था।

13. इसलिए, 2014 की डब्ल्यू पी (एस) संख्या 6172 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 और 2018 के एल पी ए संख्या 115 में खंड पीठद्वारा पारित दिनांक 19.02.2019 का आदेश टिकाऊ नहीं है।

14. परिणाम में, आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाता है और अपील को लागत के रूप में कोई आदेश नहीं दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाएगा।

दिव्या पांडे अपील मंजूर

<u>यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>